फर्द अहकाम

न्यायालय सहायक कलक्टर (SDO) मावली जिला उदयपुर(राज.)

प्रार्थी श्री खेमराज बनाम श्री गणेश

किस्म मुकदमा : 212 R.T.Act पत्रावली संख्या : 89/21 (प्रा.पत्र)

क्रम संख्या	कार्यवाही विवरण	हस्ताक्षर पार्टी तथा सूचनाये जो जारी की गई ।
	दिनांक : 13.09.2021 पत्रावली दर्ज रजिस्टर होकर पेश हुई। अधिवक्ता श्री सोहन सिंह राणावत द्वारा प्रार्थीगण की ओर से प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 आर.टी.एक्ट का दस्तावेजात के पेश कर विपक्षीगण के विरूद्व अस्थाई निषेधाज्ञा जारी फरमाने का निवेदन किया। हमनें अधिवक्ता प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों पर मनन किया। दस्तावेजात का अवलोकन किया। प्रार्थीगण के अधिवक्ता को सुना। प्रकरण में वर्णित तथ्यों एवम दस्तावेजात के आधार पर प्रकरण आवश्यक प्रकृति का प्रतीत होता है। अतः प्रकरण में विपक्षी सं. 2 से 11 के विरूद्ध अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा इस अमर की जारी की जाती है कि **मौजा खेमली पटवार हल्का खेमली की आराजी नम्बर 751, 752, 753 कुल किता 3 रकबा 1.6106 हेक्टेयर भूमि में विपक्षी सं. 2 से 11 आगामी पेशी दिनांक 28.09.2021 तक वादग्रस्त आराजीयात में किसी प्रकार की दखलन्दाजी नहीं करे, निर्माण कार्य नहीं करे, प्रार्थीगण को शांतिपूर्वक उपयोग उपभोग करने देवें।** विपक्षी सं. 1 से 12 को हुक्म ईमतनाई आरजी मजरिया जारी हो। पत्रावली वास्ते तलबी विपक्षीगण दिनांक 28.09.2021 को पेश हो। सहायक कलक्टर (SDO) मावली 28/9/21 पत्रावली पेश हुई। वकील प्रार्थी/अपीलान्ट/ प्रतिवादी/विपक्षी/रेस्पो उपस्थित/पीठासीन अधिकारी महो.आज अवकाश/भ्रमण/मिटिंग में पधारें है। पत्रावली पूर्व आदेश की पालना में दिनांक 21/12/21 को पेश हो।	

Signature Not Verified
Digitally signed by Shravan Singh Rathore
Date: 2022.03.14 17:40:13 IST
Reason: SelfAttested

21/12/21

पत्रावली पेश हुई। वकील प्रार्थी/अपीलाण्ट/ प्रतिवादी/विपक्षी/रेस्पो उपस्थित/पीठासीन अधिकारी महो.आज अवकाश/भ्रमण/मिटिंग में पधारें है। पत्रावली पूर्व आदेश की पालना में दिनांक 15/03/22 को पेश हो।

25/02/2022

खेमराज

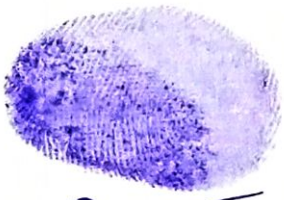

पत्रावली प्रार्थीगण मय अधिवक्ता द्वारा प्रार्थना पत्र तलबी मय विड्रो का पेश करने पर तलब की गई। प्रार्थीगण द्वारा आपसी राजीनामा हो जाने से अब इस प्रकरण में कोई कार्यवाही नहीं चाहने से प्रकरण को इसी स्तर पर ड्रोप किया जाने का निवेदन किया। प्रार्थीगण की पहचान उनके अधिवक्ता द्वारा की गई। अतः प्रार्थीगण प्रकरण में कोई कार्यवाही नहीं चाहने से प्रकरण को इसी स्तर पर ड्रोप किया जाता है।

लालूराम

नि. शम्भु

Id. by

Ad.

पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। पूर्व में जारी अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा ... है।

निर्णय सुनाया गया।

Signature Not Verified

Digitally signed by Shravan Singh Rathore
Date: 2022.03.14 17:40:13 IST
Reason: SelfAttested